

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 436 राँची, शुक्रवार

29 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

19 जून, 2015 (ई॰)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2015

संख्या-4/न0वि0/गठन/118/2014-..2093(अनु)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उप धारा (1) एवं (2) तथा धारा 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा आदित्यपुर नगर परिषद वर्ग-'क' के मूलरूप को प्रारूप अधिसूचना संख्या- 4224, दिनांक 26 सितम्बर, 14 (गजट अधिसूचना संख्या-494, दिनांक 09 सितम्बर, 14) के द्वारा वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' प्रकाशित करते हुए 30 दिनों के अन्दर आपित एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसांवा के पत्रांक-483/सा., दिनांक 18 मई, 15 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि आदित्यपुर नगर निगम के गठन से संबंधित विभागीय प्रारूप अधिसूचना संख्या-4224, दि. 26 सितम्बर, 14 (गजट अधिसूचना संख्या-494, दिनांक 09 अक्टूबर, 14) के आलोक में उक्त जिला के विहित स्थानों पर दिनांक 15 जनवरी, 15 को प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके आलोक में सात आपति/सुझाव प्राप्त हुए। उपायुक्त, सरायकेला-खरसांवा द्वारा उन सातों आपतियों/सुझावों पर दिनांक-

27 अप्रैल, 15 को सुनवाई के पश्चात् आदित्यपुर नगर निगम के गठन हेतु अंतिम रूप से अनुशंसा की गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शित्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ आदित्यपुर नगर परिषद, वर्ग-'क' को उसके मूल स्वरूप में ही गजट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से आदित्यपुर नगर निगम के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव ।

आदित्यपुर नगर निगम एक झलक में

कुल जनसंख्या :- 173783
पुरुषों की संख्या :- 91290
महिलाओं की संख्या :- 82493

4. जनसंख्या घनत्व :- 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.

5. गैर कृषि कार्य में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत :- 90% से अधिक

आदित्यपुर नगर निगम की चैहद्दी

उत्तर :- स्वर्णरेखा नदी
दक्षिण :- खरकई नदी
पूरब :- स्वणरेखा नदी
पश्चिम :- राहरगोड़ा

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 436—50 +300 ।